Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, SEPT-OCT, 2022, VOL- 10/73

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका

हर्षवर्धन[1] & सुहासिनी बाजपेयी[2], Ph. D.

[1]शैक्षणिक पी-एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

[2]सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001(महाराष्ट्र)

Paper Received On: 25 OCTOBER 2022
Peer Reviewed On: 31 OCTOBER 2022
Published On: 01 NOVEMBER 2022

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस शोध अध्ययन के उद्देश्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों की प्रभाविता का अध्ययन करना है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में संवैधानिक साक्षरता के विकास में लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर बाल संसद की प्रभाविता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज जिले के नैनी एवं विकास खण्ड चाका में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-8 के अध्ययनरत सत्र 2021-2022 के विद्यार्थियों को चुना गया है तथा उद्देश्यपूर्ण विधि से प्रतिदर्श के रूप में 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से कुल 480 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 237 एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 243 है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए स्वनिर्मित संवैधानिक साक्षरता मापनी का निर्माण किया गया है तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं सार्थकता स्पष्ट करने के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। शोध निष्कर्ष में यह पाया गया कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। जबकि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों एवं लड़कियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

मुख्य बिंदु- उच्च प्राथमिक स्तर, संवैधानिक साक्षरता, बाल संसद

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तावना

मनुष्य सदैव अपने जीवन से सीखता है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता है अपितु इस जगत में जन्म लेकर ही वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने में प्रमुख योगदान विद्यालय का होता है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ समाज की नई पीढ़ी को उसकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुरूप सुप्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा समाज, विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता और दर्शन आदि का ज्ञान कराया जाता है लेकिन यह भी आवश्यक है कि विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान, समाज निर्माण में सहायक हो अर्थात् विद्यार्थियों के विद्यालयी जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत पुस्तकीय ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज तक विद्यालय एवं घर के बीच अंतर बना हुआ है **(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2005)**। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा इस विचारधारा का समर्थन करती है कि प्रत्येक विषय को विद्यार्थियों के व्यावहारिक जीवन से संबंधित करके सिखाया जाए। यह प्रयास इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षकों के द्वारा कल्पनाशील गतिविधियों एवं प्रश्नों की सहायता से सीखने एवं स्वयं के अनुभव पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जाए। हम यह जानते हैं कि विद्यार्थियों को स्थान, समय एवं स्वतंत्रता प्रदान किया जाए तो वह प्राप्त सूचना के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान का सृजन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सहभागी माने न की केवल निष्क्रिय पाठक। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय में भारतीय संविधान, उसके कार्य, स्वरूप आदि को सिखाते समय शिक्षक को पुस्तकीय ज्ञान से पृथक होकर व्यावहारिक ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान की संरचना को केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को नहीं सिखाया जा सकता है यह बहुत ही जटिल कार्य है। इसके लिए ऐसे मंच की आवश्यकता है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को इसे व्यावहारिक रूप से समझाया जा सकता है। बाल संसद एक ऐसा ही मंच है जहाँ बच्चे व्यावहारिक रूप से संसद के स्वरूप एवं उसके कार्य को समझ सकते हैं। बाल संसद विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित एक संगठन है जिसमें सभी विद्यार्थी, शिक्षक के मार्गदर्शन में सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। यह सभी विद्यार्थियों को स्वभाविक अनुक्रिया करने एवं स्वः गति से सीखने का अवसर प्रदान करता है **(दीक्षित, 2018)।** वर्तमान शोध अध्ययन में इस तथ्य को जानने का प्रयास किया गया है कि बाल संसद संवैधानिक साक्षरता के विकास में किस प्रकार सहायक है? तथा इसका वस्तुनिष्ठ रूप से उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान समय में संसद के स्वरूप एवं उसके कार्यों को पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाना एक जटिल कार्य है इसलिए शिक्षक को ऐसे साधन की आवश्यकता है जिससे वह संसद की संरचना को व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को सिखा सके। बाल संसद एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को संसद की संरचना एवं उसके कार्य को क्रियात्मक रूप से सिखाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा विभिन्न शोधकार्य, शोध पत्र एवं शोध लेख का अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि चौधरी एवं अन्य (2020), दीक्षित (2018), फयोईन (2016), मेंहेडले एवं अन्य (2015), रस्किन (2013) ने मानवाधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक साक्षरता से संबंधित कार्य किया है। लेकिन बाल संसद के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता के विकास से संबंधित अध्ययन का अभाव पाया गया। इसलिए शोधकर्ता ने **"*उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका* का अध्ययन"** किया है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

संवैधानिक साक्षरता से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन के अंतर्गत **चौधरी एवं अन्य (2020)** ने विद्यार्थी-शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। निष्कर्ष में यह पाया कि विद्यार्थियों में लिंग, निवास-स्थान तथा परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शिक्षकों में जेंडर, निवास-स्थान तथा परिवार के स्वरूप के आधार पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। **दीक्षित (2018)** ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक 'बाल संसद के रास्ते पर' था। इस लेख में यह बताया गया है कि बाल संसद के माध्यम से बच्चों ने भारतीय संसद की कार्यप्रणाली एवं लोकतंत्र की मूलभूत भावना को समझा है। इसमें सभी को अपनी अभिव्यक्ति एवं विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को प्रेम, सद्भाव, शांति एवं अहिंसा के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी में मानव सभ्यता की सफलता का रहस्य छुपा है। अतः समाज के बेहतर नागरिकों के निर्माण में बाल संसद एक सक्रिय भागीदारी निभा रहा है जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। **फयोईन (2016)** ने प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मल्टिलेवेल कम्युनिकेशन बाई चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इन अफ्रीका: ए केस स्टडी ऑफ द साउथ अफ्रीकन चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट पर अध्ययन किया। यह शोध पत्र अफ्रीका समाज के विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप प्रतिमान एवं प्रथाओं की जाँच करता है जिसमें निष्कर्ष रूप में यह पाया गया है कि बाल संसद बच्चों की आवाज को दृढ़ता प्रदान करने वाला मंच है साथ

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ही इसमें बहुस्तरीय संचार की भी क्षमता होती है जिसमें बच्चें अपने समान स्तर एवं उच्च स्तर वालों से समाज की समस्याओं, अंतर संगठनात्मक संचार एवं नीतिगत बदलाव के सन्दर्भ में विचार सम्प्रेषित कर सकते हैं। हालांकि इसमें कई संस्थागत एवं कार्यक्रम संबंधी चुनौतियाँ भी आती है जिसे इस शोध में वर्णित नहीं किया गया है। बाल संसद बच्चों की भागीदारी जटिल संचार आयामों पर अंतःविषयक समझ को बढ़ाने, बाल-अध्ययन, मानवाधिकारों, राजनीतिक परिचर्चा एवं सावर्जनिक संचार में व्याप्त अन्तर को समाप्त करने में सहायक होगा। **मेंहेडले एवं अन्य (2015)** ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार एवं समावेशन पर अध्ययन किया। निष्कर्ष से यह पाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय में 25% आरक्षण के प्रावधानों के कार्यान्वयन का अनुभव दोनों शहरों में कुछ मानदंडों में समान तथा कुछ असमान है। दोनों शहरों में निजीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए, निजी स्कूलों और लाभार्थियों (बच्चों और परिवारों) पर इस प्रावधान के प्रभावों को समझना उपयोगी होगा। **रस्किन (2013)** ने अपने शोध कार्य द मार्शल-ब्रेनन कांस्टीट्यूशनल लिटरेसी प्रोजेक्ट अमेरिकन लीगल एजुकेशनल एमबीसियस एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशनलिज़्म के शोध निष्कर्ष में पाया यह परियोजना विद्यार्थियों को यह सिखाती है कि कैसे एक अच्छा वकील संवैधानिक प्रावधानों पर तर्क करता है? कैसे एक अच्छा नागरिक राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रश्नों पर तर्क करता है? इसके माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि संविधान सभी के लिए है और हम इसे अपना भी सकते हैं यदि हम इसके प्रति उत्तरदायी होने के इच्छुक है। अपने आरंभ के दिनों में मार्शल-ब्रेनन की परियोजना ने सामान्य दर्शन के आधार पर संगठनात्मक बुनियादी ढांचे को तैयार किया है जो स्वस्थ राजनीतिक लोकतंत्र के लिए संवैधानिक शिक्षा के महत्त्व का समर्थन करता है। इस परियोजना में स्थानीय विद्यालय के साथ साझेदारी, हाईस्कूल के विद्यार्थियों की रूचि एवं कौशल स्तरों के लिए तैयार पाठ्यक्रम, एक मूट कोर्ट संस्कृति जो किशोरों की प्रेरणा, शिक्षण विधियों, रणनीतियों और एक संगठनात्मक प्रतिमान की पूर्ण सूची शामिल है जिसमें सभी के लिए विधि विद्यालयों में उपलब्ध बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक उपयोग शामिल है। यह बुनियादी ढाँचा देश के विधि विद्यालयों को उनके उद्देश्य की भावना एवं उनकी छवि को नवीनीकृत करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में अमेरिकी विधि विद्यालय के लिए मानवाधिकार क्या है, घरेलू कार्यक्रम में विधि विद्यालय के लिए संवैधानिक साक्षरता होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि संवैधानिक साक्षरता आंदोलन क्या अधिकतर लोगों के बीच एक तरह का भूमिगत अनुभूति बनाए रखेगी या यह स्पष्ट रूप से संबंधित विद्वता के स्रोतों, विशेष रूप से लोकतांत्रिक और लोकप्रिय संविधानता, गरीब समुदायों के छात्रों के लिए विधि शिक्षा की ओर रास्ता तय करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता के साथ जुड़ा रहेगा। मजबूत

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संवैधानिक लोकतंत्र तथा प्रासंगिक तथा बहुलवादी विधिक अकादमी, दोनों के लिए केवल यह आशा की जा सकती है कि मार्शल-ब्रेनन संवैधानिक साक्षरता परियोजना आगे बढ़ती रहे एवं इसका निरंतर विकास होता रहे।

शोध उद्देश्य

1. संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

H_{O1}: संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों की भूमिका के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H_{O2}: संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका में लड़के एवं लड़कियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H_{O3}: संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका में शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति मात्रात्मक है जिसमें वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज जिले के नैनी एवं विकास खण्ड चाका में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सत्र 2021-2022 के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है एवं उद्देश्यपूर्ण विधि से प्रतिदर्श के रूप में 13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कुल 480 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। जिसमें प्रथम उद्देश्य के अनुसार बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 237 एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 243 है। जिसमें प्रथम समूह, बाल संसद संचालित विद्यालय है जिसमें बाल संसद के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता को पढ़ाने एवं सिखाने के लिए अनेक क्रियाओं का आयोजन बाल संसद के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा दूसरा समूह, बाल संसद विहीन विद्यालय है जिसमें संवैधानिक साक्षरता को सिखाने के लिए परम्परागत शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। द्वितीय उद्देश्य के अनुसार बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों की संख्या 112

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एवं लड़कियों की संख्या 125 है। तृतीय उद्देश्य के अनुसार बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 131 एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 106 है। इस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों के संकलन के लिए स्वनिर्मित संवैधानिक साक्षरता मापनी का निर्माण एवं मानकीकरण किया गया है। इस परीक्षण में संवैधानिक साक्षरता से संबंधित पांच आयामों को सम्मिलित किया गया है प्रथम आयाम- विविधता की समझ एवं भेदभाव, द्वितीय आयाम- नियम कानून, तृतीय आयाम- समानता का अधिकार, चतुर्थ आयाम- स्वतंत्रता का अधिकार, पंचम आयाम- मौलिक कर्तव्य। इस परीक्षण में कुल 26 कथन हैं। उदहारण स्वरूप संवैधानिक साक्षरता मापनी के आयाम नियम कानून एवं स्वतंत्रता का अधिकार के दो कथनों को सारणी संख्या -1 में प्रस्तुत किया गया है:-

सारणी संख्या-1: संवैधानिक साक्षरता मापनी के आयाम नियम कानून एवं स्वतंत्रता का अधिकार के कथन

क्रम संख्या	कथन संख्या	प्रश्न	हाँ	नहीं	कभी-कभी
1.	8.	मैं यातायात के नियमों का पालन करता/करती हूँ।	✓		
2.	18.	मुझे अपनी मन की बातों को सभी के समक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।	✓		

प्रत्येक कथन के समक्ष तीन विकल्प – हाँ, नहीं एवं कभी-कभी दिये गए हैं। प्राप्त आंकड़ों की विश्लेषण स्पष्ट करने के लिए बूटस्ट्रप्पिंग स्वतन्त्र प्रतिदर्श परीक्षण (Bootstrapping Independent Sample Test) का प्रयोग किया गया है**(गिग्नैक, 2019)**।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन

प्रस्तुत शोध अध्ययन से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण तालिका संख्या 2, 3 एवं 4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या-2: बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों की संवैधानिक साक्षरता के अभिवृत्ति फलांकों का बूटस्ट्रप्प स्वतन्त्र प्रतिदर्श परीक्षण (Bootstrap for Independent Samples Test)

		बूटस्ट्रप (Bootstrap)							
		माध्य अन्तर Mean Difference	बायस (Bias)	मानक त्रुटि (Std. Error)	सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) Sig. (2 tailed)	95% विश्वस्तता अंतराल (Confidence Interval)		टी-मान	सार्थकता स्तर
						निम्नतम	उच्चतम		
संवैधानिक साक्षरता प्राप्तांक (Constitutional Literary score)	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	5.138	.021	.546	.001	4.140	6.220	9.41	0.05 स्तर पर

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	5.138	.021	.546	.001	4.140	6.220	सार्थक है

सारणी संख्या-2 से यह स्पष्ट होता हैं कि बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों की संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में अंतर के लिए 95% बायस करेक्टेड एक्सिलरेटेड अंतराल (4.140, 6.220) है। चूकिं इन के माध्य अंतर के लिए 95% विश्वस्तता अंतराल (CI) की निम्नतम एवं उच्चतम सीमाएँ धनात्मक हैं इसलिए "बाल संसद संचालित एवं बाल संसद विहीन विद्यालयों के संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है" की शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है **(नेज़ेविक, 2020)**। आगे दोनों समूह के संवैधानिक साक्षरता माध्य फलांकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाल संसद संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य फलांक (65.43) बाल संसद विहीन विद्यालय के विद्यार्थियों के माध्य फलांक (60.29) से सार्थक रूप से अधिक है। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। उपयुक्त विधि के माध्यम से टी-मान ज्ञात नहीं होता है लेकिन सारणी में दिए गए माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर टी-मान प्राप्त किया जा सकता है **(गिग्रैक, 2019)**। यहाँ माध्य अंतर (5.138) एवं मानक त्रुटि (.546) है। माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर (5.138/.546 = 9.41) टी-मान 9.41 प्राप्त हुआ है। यह स्वतंत्रता का अंश 478 पर 0.05 स्तर पर सार्थक है अर्थात् शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

सारणी संख्या-3: बाल संसद संचालित विद्यालय में लिंग(लड़के एवं लड़कियों) के आधार पर संवैधानिक साक्षरता के अभिवृत्ति फलांकों का बूटस्ट्रप्प स्वतन्त्र प्रतिदर्श परीक्षण (Bootstrap for Independent Samples Test)

		बूटस्ट्रप (Bootstrap)							
		माध्य अन्तर Mean Difference	**बायस (Bias)**	**मानक त्रुटि (Std. Error)**	**सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) Sig. (2 tailed)**	**95% विश्वस्तता अंतराल (Confidence Interval)**		**टी-मान**	**सार्थकता स्तर**
						निम्नतम	**उच्चतम**		
संवैधानिक साक्षरता प्राप्तांक (Constitutional Literary score)	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	1.23	-.022	.881	.154	-.6526	2.9584	1.39	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है
	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	1.23	-.022	.881	.156	-.6526	2.9584		

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सारणी संख्या-3 से यह स्पष्ट होता है कि बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों एवं बाल संसद संचालित विद्यालय की लड़कियों की संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में अंतर के लिए 95% बायस करेक्टेड एक्सिलरेटेड अंतराल (-0.65261, 2.95841) है। चूकिं इन के माध्य अंतर के लिए 95% विश्वस्तता अंतराल (CI) की निम्नतम सीमाएँ ऋणात्मक एवं उच्चतम सीमाएँ धनात्मक हैं इसलिए "बाल संसद संचालित विद्यालय के लड़कों एवं बाल संसद संचालित विद्यालय की लड़कियों की संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है" की शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है **(नेज़ेविक, 2020)**। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका का लिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त विधि के माध्यम से टी-मान ज्ञात नहीं होता है लेकिन सारणी में दिए गए माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर टी-मान को प्राप्त किया जा सकता है **(गिग्नैक, 2019)**। यहाँ माध्य अंतर (1.123) एवं मानक त्रुटि (.881) है। माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर (1.23/.881 = 1.39) टी-मान 1.39 प्राप्त हुआ है। यह स्वतंत्रता का अंश 235 पर 0.05 स्तर पर सार्थक है अर्थात् शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

सारणी संख्या-4 : बाल संसद संचालित विद्यालय का क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) के आधार पर संवैधानिक साक्षरता के अभिवृत्ति फलांकों का बूटस्ट्रप्प स्वतन्त्र प्रतिदर्श परीक्षण (Bootstrap for Independent Samples Test)

		बूटस्ट्रप (Bootstrap)							
		माध्य अन्तर Mean Difference	बायस (Bias)	मानक त्रुटि (Std. Error)	सार्थकता (द्वि-पुच्छीय) Sig. (2 tailed)	95% विश्वस्तता अंतराल (Confidence Interval)		टी-मान	सार्थकता स्तर
						निम्नतम	उच्चतम		
संवैधानिक साक्षरता प्राप्तांक (Constitutional Literary score)	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	1.956	.019	.868	.020	.216	3.589	2.25	0.05 स्तर पर सार्थक है
	कल्पित समान प्रसारण (Equal variances assumed)	1.956	.019	.868	.020	.216	3.589		

सारणी संख्या-4 से यह स्पष्ट होता हैं कि बाल संसद संचालित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों की संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में अंतर के लिए 95% बायस करेक्टेड एक्सिलरेटेड अंतराल (.216, 3.589) है। चूकिं इन के माध्य अंतर के लिए 95% विश्वस्तता अंतराल (CI)

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की निम्नतम एवं उच्चतम सीमाएँ धनात्मक हैं इसलिए "बाल संसद संचालित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों की संवैधानिक साक्षरता के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है" की शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है **(नेज़ेविक, 2020)**। आगे दोनों समूह के संवैधानिक साक्षरता माध्य फलांकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाल संसद संचालित शहरी क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों का माध्य फलांक (66.31) बाल संसद संचालित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के माध्य फलांक (64.35) से सार्थक रूप से अधिक है। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा इसमें क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ सकता हैं। उपयुक्त विधि के माध्यम से टी-मान ज्ञात नहीं होता है लेकिन सारणी में दिए गए माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर टी-मान को प्राप्त किया जा सकता है **(गिग्नैक, 2019)**। यहाँ माध्य अंतर (1.956) एवं मानक त्रुटि (.868) है। माध्य अंतर को मानक त्रुटि से भाग करने पर (1.956/.868 = 2.25) टी-मान 2.25 प्राप्त हुआ है। यह स्वतंत्रता का अंश 235 पर 0.05 स्तर पर सार्थक है अर्थात् शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न परिणाम प्राप्त हुए है:-

- अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि बाल संसद संचालित विद्यालय एवं परम्परागत विधि से संचालित विद्यालय द्वारा सिखाए गए विद्यार्थियों की संवैधानिक साक्षरता की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। दोनों समूह में से किस समूह की अभिवृत्ति बेहतर है इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए दोनों समूह के विद्यार्थियों के माध्य फलांकों का अवलोकन किया गया है। अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया है कि बाल संसद संचालित समूह के विद्यार्थियों का माध्य फलांक बाल संसद विहीन समूह के विद्यार्थियों के माध्य फलांक सार्थक रूप से अधिक है। यह अंतर इसलिए आया है क्योंकि बाल संसद संचालित विद्यालयों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान केवल पुस्तकीय न होकर अनुभवजन्य भी है। इसमें विद्यार्थी संसदीय प्रणाली, उसके स्वरूप, कार्य, पारस्परिक कर्त्तव्य एवं विद्यालय के प्रति स्वयं की भूमिका के संबंध में व्यवहारिक एवं क्रियात्मक ज्ञान को सीखता है जो उसे अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों की अपेक्षा विशिष्ट बनाती है। इस तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि जब विद्यार्थियों को विद्यालय में बाल संसद के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता को सिखाया जाता है तब वह भारतीय संविधान, नियम कानून, मूल अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य के प्रति अधिक सक्रिय रूप से सीखने का प्रयास करते हैं। पूर्व में हुए शोध कार्य के परिणाम भी प्रस्तुत शोध परिणाम का समर्थन करते हैं। **दीक्षित (2018), फयोईन (2016), अल-**

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शामी (2008), सरकार एवं अन्य (2005) ने भी बाल संसद, संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित शोध कार्य किये हैं एवं शोध परिणामों में पाया गया है कि बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं की मौलिक एवं स्वाभाविक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं जिससे विद्यार्थी संविधान को पढ़ने के साथ-साथ उसके स्वरूप को व्यावहारिक रूप में सरलता से समझ सकते हैं।

- अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका में लड़कों एवं लड़कियों के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाल संसद विद्यार्थियों का मंच है यहाँ सभी को समान अवसर दिया जाता है। विद्यालय में कार्यक्रम के आयोजन में सभी विद्यार्थी मिलजुल कर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। पूर्व में हुए शोध के परिणाम भी प्रस्तुत शोध परिणाम का समर्थन करते हैं। **चौधरी एवं अन्य (2020) एवं रॉयल एवं अन्य (2013)** के शोध कार्य में पाया गया है कि संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को विद्यार्थियों को बाल संसद के माध्यम से सिखाने पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि बाल संसद में लड़के एवं लड़कियाँ समान रूप से प्रतिभाग करते हैं। यह मंच उन्हें सीखने के समान अवसर प्रदान करता है। इसलिए विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों आदि को बाल संसद के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है।
- अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया है कि संवैधानिक साक्षरता के विकास में बाल संसद की भूमिका में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर पाया गया है। यह विलगता इसलिए भी आयी है क्योंकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थी बाल संसद के द्वारा संचालित सभी गतिविधियों में सहभाग करते हैं लेकिन जब हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय के विद्यार्थी संवैधानिक साक्षरता से संबधित सिखाए गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हुए अधिक पाए गए वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इस ज्ञान को जान रहे थे लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। पूर्व में हुए अध्ययन के परिणाम भी प्रस्तुत शोध के परिणाम का समर्थन करते हैं। **टुकुकेन एवं अन्य (2012) एवं रस्किन (2013)** ने शोध कार्य में पाया है कि संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को विद्यार्थियों को सिखाने में क्षेत्र या निवास स्थान का सार्थक प्रभाव पड़ता है। लेकिन **चौधरी एवं अन्य (2020)** के परिणाम हमारे द्वारा प्राप्त परिणाम के विपरीत पाए गए हैं।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

इन्होंने शोध परिणाम में पाया है कि संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को विद्यार्थियों को सिखाने में क्षेत्र या निवास स्थान का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि बाल संसद में सभी विद्यार्थी समान रूप से प्रतिभाग करते हैं यह मंच उन्हें स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है लेकिन क्षेत्र के आधार पर विद्यालयों में कुछ मूलभूत सुविधा का आभाव पाया जाता है इसलिए विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों आदि को बाल संसद के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो इस पर क्षेत्र/ निवास स्थान का सार्थक प्रभाव पड़ सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ

वर्तमान शोध अध्ययन के निष्कर्षों का शिक्षा के नीति-निर्माताओं एवं शिक्षकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि शोध अध्ययन से पता चलता है कि बाल संसद, विद्यालय के विद्यार्थियों को संसद के स्वरूप, कार्य एवं उसके क्रियात्मक रूप से परिचित कराता है लेकिन सभी विद्यालय में बाल संसद नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नीति निर्माताओं द्वारा शैक्षिक व्यवस्था को इस प्रकार से पुनर्गठित करना चाहिए जिससे विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहें अपितु व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर समाज का सक्रिय सदस्य बन सकें। विद्यालय में संसद की संरचना एवं इसके क्रियात्मक रूप को सिखाना परंपरागत शिक्षण पद्धति के द्वारा संभव नहीं है इसके लिए शिक्षक को सहकारी अधिगम एवं सामूहिक अधिगम पर बल देना चाहिए। जिससे वह संसद के सैद्धांतिक स्वरूप के साथ ही व्यावहारिक स्वरूप को सरलता से विद्यार्थियों को सिखा सके। बाल संसद का स्वरूप ही संसद पर आधारित है। जिससे विद्यार्थी संसद की कार्यप्रणाली को सरलता से सीख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के बिन्दु 4.28 के अनुसार "भारतीय संविधान के अंश को सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ना आवश्यक किया जाएगा।" जो यह स्पष्ट करता है कि सभी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए अर्थात् उन्हे संविधान की सामान्य समझ का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में बाल संसद को यदि विस्तार दिया जाए तो बाल संसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में वर्णित उद्देश्य को पूरा करने में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

सन्दर्भ

अल-शामी, यू.के. (2008). फ़र्स्ट रिपोर्ट बाइ द चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट ऑन द कंडिशन्स ऑफ चिल्ड्रेन इन यमन. सेव द चिल्ड्रेन. 1-21.

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/first-report-childrens-parliament-conditions-children-yemen-2008/

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नेज़ेविक, ए. (2020). ओवरलैप्पिंग कॉन्फीडेन्स इंटरवल्स एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स. कॉर्नेल स्टैटिस्टिकल कंसल्टिंग यूनिट, 1-3. https://cscu.cornell.edu/wp-content/uploads/73_ci.pdf

गिग्नैक, जी.ई. (2019). हाउ 2 स्टैट्सबुक. पर्थ. ऑस्ट्रेलिया.

Chapter 6 - Difference Between Two Means - 2019.pdf (googlegroups.com)

चौधरी, बी. एवं पाण्डेय, टी. सी. (2020). विद्यार्थियों- शिक्षकों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 40(3), 5-19. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Jan_2020.pdf

टुकुकेन, टी., कांकरान्ता, एम., एवं विलस्का, टी.ए. (2013). चिल्ड्रेन्स लाइफ वर्ल्ड ऐज ए पर्सपेक्टिव ऑन देयर सिटिज़नशिप: द केस ऑफ द फ़िनिश चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट. चाइल्डहुड: ए गोल्बल जर्नल ऑफ़ चाइल्ड रिसर्च, 20(1), 131-147. Children's life world as a perspective on their citizenship: The case of the Finnish Children's Parliament - Terhi Tuukkanen, Marja Kankaanranta, Terhi-Anna Wilska, 2013 (sagepub.com)

दीक्षित, पी. (2018). बाल संसद के रास्ते. प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका, 42(4), 36-41.
https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/Prathmik_Shikshak_Oct18.pdf

मेंहेडले, ए., मुखोपाध्याय, आर., एवं नामला,ए. (2015). गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा अधिकार एवं समावेशन पर अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 36(1), 58-78. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_15.pdf

रस्किन, बी. जे. (2013). द मार्शल-ब्रेनन कांस्टीट्यूशनल लिटरेसी प्रोजेक्ट: अमेरिकन लीगल एजुकेशन्स एम्बिशस एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशनलिज़्म. आर्टिकल इन लॉ रिफार्म एंड अदर एकादमिक जर्नल, 90(4), 833-869.
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2050&context=facsch_lawrev

रॉयल, आर., एवं हॉफमैन, डी. एल. (2013). इम्पैनल्ड एंड इनइफेक्टिव: द रोल ऑफ़ लॉ स्कूल्स एंड कांस्टीट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स इन इफेक्टिव ज्यूरी रिफार्म. डेन्वर लॉ रिव्यू, 90(4), 960-975. https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=dlr

शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. 3-6.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/hindi.pdf

फयोईन, ए. (2016). प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मल्टिलेवेल कम्युनिकेशन बाई चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इन अफ्रीका: ए केस स्टडी ऑफ द साउथ अफ्रीकन चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मीडिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन्स, 2(3), 7-16. https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmjmc/v2-i3/2.pdf

फील्ड, ए. (2013). डिस्कवरिंग स्टैटीस्टिक्स यूजिंग आईबीएम एसपीएसएस स्टैटीस्टिक्स. सेज पब्लिकेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड.

सरकार, जे., एवं मेन्दोजा, बी. (2005). बोलीवियस चिल्ड्रेन्स पार्लियामेंट: ब्रिंगिंग पार्टीसिपेशन टू द नेशनल स्टेज. चिल्ड्रेन, यूथ एंड एनवायरनमेंट्स, 15(2), 227-244. https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7721/chilyoutenvi.15.2.0227.pdf?refreqid=excelsior%3Af7917f509f0ad7b67a48cf317774acc1&ab_segments=&origin=&acceptTC=1

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies